सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 109 दर्ज तिथिः–14.08.2025

1. रामेश्वर गिर पुत्र जाल गिर जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील वा जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. कालु गिर पुत्र रामेश्वर गिर जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील वा जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा चूरू जरिये शाखा प्रबंधक

..................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री सुरेन्द्र बुडानिया
प्रतिवादी सं. 3ः–श्री योगेश सहारण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 09.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्थाई निषेधाज्ञा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी गांव जोड़ी पट्टा सात्यु तहसील व जिला चूरू का मूल निवासी है व वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नंबर 747 / 410 रकबा 4.1228 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकवा 4.1987 रोही मौजा जोड़ी पट्ट सात्यु तहसील व जिला चूरू (राजस्थान) में स्थित है, जिसका वादी वर्तमान में अकेला खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसका वादी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। जिसका नाम उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड अंकित है। वादी का आधार कार्ड आदि दस्तावेज संलग्न दावा है, जमाबन्दी, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न दावा पेश है।
2. वादी को प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] कि वादगत कृषि भूमि में से तुम्हे बेदखल करके पुरी कृषि भूमि पर काबि[illegible] और कब्जे के आधार पर किसी अन्य को विक्रय कर काबिज [illegible] में भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ कई बार [illegible] शिकायत पुलिस थाना [illegible] पुलिस अधीक्षक, चूरू को भी की गई, जिस पर प्रतिवा[illegible] संख्या को पुलिस द्वारा [illegible] किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

गया था कि भविष्य में ऐसा ना करें, परन्तु प्रतिवादी संख्या । बार–बार वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहा है व कुछ हिस्से पर प्रतिवादी संख्या । ने नाजायज रूप से घुस कर कब्जा भी कर रखा है, जिसको हटाया जाना आवश्यक है।

3. प्रतिवादी संख्या । वादी को उसके हिस्से, हक की उक्त कृषि भूमि को कब्जा कर विक्रय करके खुर्द–बुर्द कर देने पर आमादा है तथा एलानिया धमकी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल कर कब्जे के आधार पर बादगत कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने की वादी को दे रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के लिए अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना लाजमी भी है।
4. वादी से प्रतिवादी संख्या । को कहा व कहलवाया की वह वादगत कृषि भूमि से वादी का कब्जा ना हटावे व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा लेवे, तो पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा व बाद में दिनांक 08.08.2025 को ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया, सही तारीख बिनाय मुसास्मत दावा है तथा बिनाय दावा वादी वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड खातेदार, काश्तकार दर्ज होने से हर वक्त हक प्राप्त है।
5. चिर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्तीय क्षति का सिद्धांत वादी के हक में साबित है।
6. प्रतिवादी संख्या 2 राजस्थान सरकार के अधिकारी है, व श्रीमान् न्यायालय द्वारा आदेश की पालना भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की जानी है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 2 को तरतीबी फरीक माना गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा दावा में कोई कानूनी कमी नहीं रहे, इस कारण पक्षकार दावा बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 3 के यहां वादी की जमीन रहन रखी होने के कारण कोई कानूनी खामी ना रह जाये इसलिए पक्षकार बनाया गया है।
7. दावा हाजा में राज्य सरकार के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, दावा आवश्यक प्रकृति का है, जिसे तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक है। दावा कोई कानूनी खामी ना रहे, इस कारण दावा हाजा धारा 80 जाप्ता दिवानी की पूर्व अनुमति के बिना पेश किया जा रहा है।
8. वादगत कृषि भूमि अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। दावा हर लिहाज से अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 का जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादगत कृषि भूमि पर से वादी का कब्जा हटाकर उसे बेदखल न करे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि वादी की कृषि भूमि खसरा नंबर 377 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खसरा नंबर 747/410 रकबा 4.1228 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.1987 रोही मौजा जोड़ी पट्ट सात्यु तहसील व जिला चूरू (राजस्थान) पर किया गया अतिक्रमण को हटा लेवे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य हर न्यायोचित अनुतोष जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है या दौराने सुनवाई दावा हो जावे वो भी प्रतिवादी संख्या 1 से वादी को दिलवाया जावे।

9. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने योग्य होने से वाद को वाद रजिस्टर में दर्ज किया जाकर तथा प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 बैंक की ओर अधिवक्ता श्री योगेश सहारण ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने के कारण केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लिया गया है।

10. प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया कि मद संख्या—1 अर्जीदावा में अंकित तथ्य कृषि भूमि खसरा नम्बर की स्थित होना स्वीकार है। मद संख्या 2 अर्जीदावा में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा अस्वीकार की जाती है। दावा में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी बैंक के बंधक है। मद संख्या 3 अर्जीदावा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद संख्या 4 अर्जीदावा में अंकित जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है तथा अस्वीकार की जाती है। मद संख्या 5 अर्जीदावा कानूनी है जबाब की आवश्यकता नहीं है। मद संख्या 6 अर्जीदावा में अंकित कृषि भूमि प्रतिवादी बैंक के बंधक है। बैंक के खिलाफ कानूनन कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। मद संख्या—7 अर्जीदावा स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। दावा राज्य सरकार के खिलाफ होने से धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में कानूनन चलने योग्य नहीं है। मद संख्या—7 अर्जीदावा स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। वादी को प्रतिवादी संख्या—3 बैंक के खिलाफ कोई भी वादाधिकार व वादकारण हासिल नहीं है। फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या—3 बैंक के खिलाफ दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी बैंक के पक्ष में वादी संख्या रामेश्वर गीर की भूमि बंधक होने के कारण कानूनन बैंक का नाम बतौर बंधक ग्रहीता होने से वादी के पक्ष में बैंक के खिलाफ निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। वादी की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या—3 बैंक के पक्ष में ऋण की प्रत्याभूति में बंधक किया हुआ है कानूनन सम्पत्ति बंधक रहते हुए बैंक के हितों के विपरीत निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी बैंक की वादी द्वारा लिये गये ऋण की राशि व उस पर देय ब्याज भी बकाया चला आ रहा है, जिस ऋण राशि की अदायगी के बिना कानूनन बैंक के हितों के विपरीत कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। वादी के ऋण खाता में भी राशि बकाया चली आ रही है, जिस ऋण खाता की समस्त राशि मय ब्याज अदायगी बिना कानूनन बैंक के हितों के विपरीत दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालतवाला किसी प्रकार दावा हाजा डिक्री किया जाना समझे तो वैकल्पिक रूप से अर्ज है कि वादी द्वारा लिये गये ऋण की एवज में यदि प्रतिवादी बैंक का ऋण बकाया हो तो राजस्व रेकार्ड में बतौर रहन State Bank of India शाखा 31138 चूरू का नाम खसरा में भी बदस्तूर बतौर राहिन दर्ज किये जाने की डिक्री फरमाई जावे। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा सव्यय खारिज फरमाया जावे।

11. प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि वाद मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी का पूर्ण हिस्सा अभिलेखों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः इस प्रकरण में पृथक से तनकीयात निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्यों पर ही निर्भर रहने का निवेदन किया गया, अतः वादी साक्ष्य बन्द किया जाता है। प्रतिवादी [illegible] के एकपक्षीय रहने से प्रतिवादी साक्ष्य भी बन्द किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में पक्षकारों के साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात प्रकरण को अंतिम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

12. बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 377 एवं 747/410, रोही मौजा जोड़ी पट्टा सात्यूं, तहसील एवं जिला चूरू, राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम से खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा वादी उक्त भूमि का वैध कब्जाधारी है। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को निरन्तर बेदखल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं तथा कुछ हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा भी किया गया है, जो कि विधि विरुद्ध है। अतः वादी को स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 के एकपक्षीय रहने के कारण उसकी ओर से कोई बहस प्रस्तुत नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 3 बैंक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि बैंक के पक्ष में बंधक है तथा उक्त भूमि पर बैंक का विधिक अधिकार सुरक्षित है। अतः बिना बैंक के हितों को सुरक्षित किए किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी का बैंक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष वादकारण नहीं है, अतः वाद इस सीमा तक अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 केवल औपचारिक पक्षकार होने के कारण उसके विरुद्ध कोई पृथक बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

13. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। प्रकरण के समस्त अभिलेखों, उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पक्षकारों के कथनों एवं अंतिम बहस के अवलोकन किया गया प्रकरण मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित है, तथापि केवल नाम दर्ज होना अपने आप में स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि प्रतिवादी द्वारा वास्तविक विधिक हस्तक्षेप एवं अनधिकृत कब्जा स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के एकपक्षीय रहने मात्र से वादी के दावे को स्वतः प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वादी पर अपने मामले को सिद्ध करने का भार था, जिसे वह पूर्णतः निर्वहन करने में असफल रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा तभी प्रदान की जा सकती है जब वादी का अधिकार स्पष्ट, निर्विवाद एवं विधिक रूप से सिद्ध हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी अपने कथित अधिकारों को विधिसम्मत रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है। पक्षकार अपना—अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 09.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)